

2
न्यायालय अंतर्गत चर्चा पुनः उपलब्ध, राजमहल ।

नामांतरण अपील वाद सं- 03/19-20

अपीलाधी: मोर अली कवस ।

- बनाम -

विपक्षी - सरसिन्दर दास दीगर कौर ।

- आदेश -

21-08-20 अमिलेव उपस्थापित। उमम पक्ष अनुपस्थित। प्रस्तुत वाद अपीलाधी मोर अली कवस, पिता - स्वर्ग शैव मोहम्मद फखरुद्दीन संत + पौर + भाग - तीनपहाड़, जिला - साहिबगंज के हाथ अंचल अधिकारी राजमहल के नामांतरण वाद सं- 66 R27/2018-19 में पारित आदेश के विरुद्ध नामांतरण अपील वाद सं- 03/2019-20 दाखल किया है।

अपीलाधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु - अपीलाधी एवं विपक्षी स्वयं भा विरुद्ध अधिवक्ता के माध्यम से उक्त वाद से संबंधित कोई भी दलिल प्रस्तुत नहीं किया गया।

चूंकि विगत कई वर्षों से उमम पक्ष अनुपस्थित रहे हैं, जिससे यह प्रति होता है कि उमम पक्षों के इस वाद में कोई अतिरिक्त नहीं हैं। साथ ही यह मागला नामांतरण अस्वीकृत वाद के वापस करने हेतु प्रति होता है। अपीलाधी के सामूहिक के माध्यम से अविकल राजा चाहिए था। जो की नहीं किया है।

अतएव उपरोक्त आधार पर बिना किसी प्रभावकारी आदेश के वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।
लेखापित एवं संशोधित ।

रुकि पुनः उपस्थापित,
राजमहल ।

रुकि पुनः उपस्थापित,
राजमहल ।